

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० सत्य प्रकाश त्रिपाठी	नेत्र सर्जन	जिला चिकि०, बागेश्वर	नेत्र सर्जन, जिला चिकि०, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर।

2- उक्त स्थानान्तरित विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रतिस्थानी की उपलब्धता पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्साधिकारीगण द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
2.	डा० भागीरथी गर्वाल	अपर निदेशक	जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़।	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या-865(1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

10. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
11. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
12. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
13. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
15. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. संबंधित चिकित्साधिकारीगण द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क० स०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
3.	डा० प्रवीण कुमार	संयुक्त निदेशक	बाध्य प्रतीक्षारत	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या-865(2)(1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्साधिकारीगण द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० दीवा रूपाली	संयुक्त निदेशक	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी टिहरी	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या-865(3) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्साधिकारीगण द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० चन्द्र शेखर भट्ट	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत	उप जिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल।

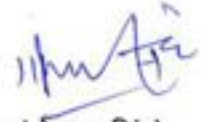
(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या-865(4) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्साधिकारीगण द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० लक्ष्मण सिंह मेहता	वरिष्ठ निश्चेतक	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल (दुर्गम हेतु)

2- उक्त स्थानान्तरित विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रतिस्थानी की उपलब्धता पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865(5) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्साधिकारीगण द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डॉ० सन्दीप कुमार दीक्षित	पैथोलॉजिस्ट	जी०एस० माहरा चिकि०, रानीखेत, अल्मोड़ा	उप जिला चिकित्सालय, काशीपुर, उधमसिंह नगर।

2- उक्त स्थानान्तरित विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रतिस्थानी की उपलब्धता पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या-865(6)(1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्साधिकारीगण द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० अजय मोहन शर्मा	पैथोलॉजिस्ट	जिला चिकि०, बागेश्वर	जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर।

2- उक्त स्थानान्तरित विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रतिस्थानी की उपलब्धता पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865(7)(1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्साधिकारीगण द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० रश्मि पन्त	संयुक्त निदेशक	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, धम्मावत।	प्रभारी निदेशक, एन०एच०एम०, देहरादून।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या-865(8) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्साधिकारीगण द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डॉ० राशि भट्टनागर	पैथोलॉजिस्ट	जिला चिकित्सालय चम्पावत	उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी

2- उक्त स्थानान्तरित विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रतिस्थानी की उपलब्धता पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या-865(9)(1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्साधिकारीगण द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० चन्द्रा पन्त	संयुक्त निदेशक	उप जिला चिकित्सालय, रामनगर।	उप जिला चिकित्सालय, काशीपुर।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या-865 (10)(1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्साधिकारीगण द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० अर्चना पाण्डे	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	एन०एच०एम०, उत्तराखण्ड, देहरादून	प्रभारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी (दुर्गम क्षेत्र हेतु)।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- ४65(11)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० अर्चना कौशिक (पाराशर)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	सामु०स्वा०के०, मालधनचौड़, नैनीताल	प्रभारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या-865(12)(1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमार्ग मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमार्ग मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० दिनेश कुमार कोहली	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	प्रा०स्वा०के० बैलपड़ाव, नैनीताल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैती, अल्मोड़ा।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (13) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० आकांक्षा जोशी	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	सामु०स्वा०के०, रायपुर, देहरादून	प्रभारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865(14) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० प्रशान्त कुमार कौशिक	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	सामु०स्वा०केन्द्र मालधनचौड़, नैनीताल	प्रभारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865(15) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० निधि रावत	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	प्रभारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865(16) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 16 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० तपन कुमार शर्मा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंहनगर	प्रभारी अधीनस्थ, जिला चिकित्सालय बागेश्वर

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (14) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 16 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० सीमा जगदीश टेकचन्दानी	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय नरेन्द्रनगर, टिहरी	प्रभारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (18) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० विनीता सयाना	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	सामु०स्वा०केन्द्र, रायपुर, देहरादून	प्रभारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865(19) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० मौ० शाह हसन	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून	प्रभारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (20) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राक्खानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० अमित मिश्रा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	सामु०स्वा०के०, कालाढूंगी, नैनीताल	प्रभारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी बागेश्वर

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (21) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० अरविन्द्र सिंह पांगती	नेत्र सर्जन	जिला चिकि०, अल्मोड़ा	प्रभारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा

2- उक्त स्थानान्तरित विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रतिस्थानी की उपलब्धता पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 965 (22) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० मीता श्रीवास्तव	बालरोग विशेषज्ञ	उप जिला चिकि०, मसूरी, देहरादून	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहसपुर, देहरादून

2- उक्त स्थानान्तरित विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रतिस्थानी की उपलब्धता पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (23) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डॉ० अमित जैन	फिजीशियन	जिला चिकि०, गोपेश्वर, चमोली	जिला चिकित्सालय, कोरोनेशन, देहरादून

2- उक्त स्थानान्तरित विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रतिस्थानी की उपलब्धता पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (24)(1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० कैलाश सिंह रावत	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	उप जिला चिकि०, हल्द्वानी, नैनीताल	सम्भागीय प्रशिक्षण केन्द्र, मोतीनगर, हल्द्वानी

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (25) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० लाल सिंह बोरा	सर्जन	जिला चिकि०, पिथौरागढ़	जिला चिकित्सालय, देहरादून

2- उक्त स्थानान्तरित विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रतिस्थानी की उपलब्धता पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (26) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डॉ० मदन बोनाल	प्रभारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	पिथौरागढ़	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालादूंगी, नैनीताल

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (24) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० महेन्द्र सिंह खाती	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी / नेत्र सर्जन	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली	डिस्पेंसरी, विधानसभा देहरादून।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (28) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० प्रमोद सिंह जंगपांगी	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865(29) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डॉ० रमेश कुंवर	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	सा०स्वा०केन्द्र, पाबौ, पौड़ी	प्रभारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (30) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० हितेन्द्र कुमार सिंह	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	सामु०स्वा०के०, यमकेश्वर, पौड़ी	प्रभारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (31) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० उमा रावत	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी / नेत्र विशेषज्ञ	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी घमोली सम्बद्ध एन०एच०एम०, देहरादून	एन०एच०एम०, देहरादून

2- उक्त स्थानान्तरित विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रतिस्थानी की उपलब्धता पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (32) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० राजीव कुमार गांधी	आर्थोपेडिक सर्जन	एल०डी०मट्ट चिकि० काशीपुर, उधमसिंह नगर	उप जिला चिकित्सालय, लोहाघाट, चम्पावत

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (33) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० रेनू अग्निहोत्री	बालरोग विशेषज्ञ	महिला चिकि०, हल्द्वानी, नैनीताल	जिला चिकित्सालय, चम्पावत

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (34) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० प्रतीक थापा	चिकित्सा अधिकारी	प्रा०स्वा०केन्द्र टाईप ए, नेहरूग्राम, देहरादून	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (35) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० उमा	चिकित्सा अधिकारी	प्रा०स्वा०के० सेलाकुई, देहरादून	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चकराता, देहरादून

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (36) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० स०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० तजेन्द्र	फॉरेंसिक	सा०स्वा०केन्द्र, सहसपुर, देहरादून	जिला चिकित्सालय, पौड़ी

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (37) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० राजीव गैरोला	चिकित्सा अधिकारी	जिला चिकि०, देहरादून	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नेहरूग्राम, देहरादून

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865(38) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० अरिता सक्सेना	चिकित्सा अधिकारी	सा०स्वा०केन्द्र, भवाली, नैनीताल	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, देहरादून

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 465 (39) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० स्निग्धा जोशी	नेत्र सर्जन	जिला चिकि०, उत्तरकाशी	नेत्र सर्जन, उप जिला चिकित्सालय, ऋषिकेश, देहरादून

2- उक्त स्थानान्तरित विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रतिस्थानी की उपलब्धता पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (40) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० भगवती प्रसाद पुरोहित	चिकित्सा अधिकारी	उप जिला चिकि०, कर्णप्रयाग, चमोली	उप जिला चिकित्सालय, मसूरी, देहरादून

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865(41) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० चन्द्र शेखर पाठक	चिकित्सा अधिकारी	प्रा०स्वा०के० टाईप ए, राजावाला, देहरादून	कार्यालय जिला चिकित्सालय, बागेश्वर के अधीन

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (42) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डॉ० रजनी भाकुनी	निश्चेतक	बी०डी० पाण्डे जिला चिकि०, पिथौरागढ़	जिला चिकित्सालय, देहरादून।

2- उक्त स्थानान्तरित विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रतिस्थानी की उपलब्धता पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865(43) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० योगिता शाह	चिकित्सा अधिकारी	सामु०स्वा०के०, चिन्वालीसौड़, उत्तरकाशी	उप जिला चिकित्सालय, विकासनगर, देहरादून।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (44) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० आशुतोष कुमार	चिकित्सा अधिकारी	अति० प्रा०स्वा०केन्द्र, चोपड़ा, रुद्रप्रयाग	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865(45) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० अमित कुमार	चिकित्सा अधिकारी	प्रा०स्वा०के० टाईप ए, ग्वालदम, चमौली	सामु०स्वा०के० भवाली, नैनीताल।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (46) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० वाजिद अली	चिकित्सा अधिकारी	प्रा०स्वा०के० टाईप ए. काण्डई दसज्यूला, रुद्रप्रयाग	उप जिला चिकित्सालय, विकासनगर, देहरादून।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या-865 (47) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० रोहित भण्डारी	चिकित्सा अधिकारी	सामु०स्वा०के०, बड़कोट उत्तरकाशी	सामदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौगांव, उत्तरकाशी।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या-865(48) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 865(49) /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० सूर्य नारायण सिंह	निश्चेतक	जिला चिकि०, गोपेश्वर, चमोली	उप जिला चिकित्सालय, रुड़की, हरिद्वार।

2- उक्त स्थानान्तरित विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रतिस्थानी की उपलब्धता पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (49) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गोपाल सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- /XXVIII-1/2025/01(07)2025
देहरादून, दिनांक: 10 जून, 2025
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत समूह-क के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्सक को उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के कॉलम सं० 4 से कॉलम सं० 5 में अंकित तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	पदनाम/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती का स्थान	प्रस्तावित/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	डा० अराधना दीक्षित	चिकित्सा अधिकारी	उप जिला चिकित्सालय रानीखेत, अल्मोड़ा	उप जिला चिकि०, काशीपुर, उधमसिंह नगर।

(अनूप कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संख्या- 865 (50) (1)/XXVIII-1/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित चिकित्सक द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गोपाल सिंह)
अनु सचिव